

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 957, 959, 961 व 962 2012 / जयपुर

मैसर्स आई.टी.सी. लि., जयपुर,
डी-24, पृथ्वीराज रोड, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थितः:

श्री पी.के.कासलीवाल,
अभिभाषक।
श्री एन.के.बैद,

उप राजकीय अधिवक्ता।

.....व्यवहारी की ओर से
निर्णय दिनांक : 23.04.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवहारी की ओर से ये चार अपीलें उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स-द्वितीय), जयपुरर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश दिनांक 03.02.2012, जो कमशः अपील संख्या 125, 124, 92,123 / अपील्स-II / आर.वी.एस.टी. / जयपुर / वि.वृ. राज. / 2011-12, के संबंध में पारित किये गये हैं, के विरुद्ध पेश की गयी हैं तथा जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26, 55 के तहत तालिका-I अनुसार आरोपित अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

तालिका-I

(रुमें)

अपील संख्या	निर्धारण वर्ष	विवादित अंतर कर	ब्याज
957 / 2012	2006-07	24,37,068/-	13,64,758/-
959 / 2012	2007-08	43,51,656/-	19,14,729/-
961 / 2012	2008-09	36,62,094/-	10,98,628/-
962 / 2012	2009-10	70,12,329/-	16,12,836/-

2. चूंकि चारों अपीलों के तथ्य सादृश्य होने के कारण इनका निर्णय एकीकृत रूप से किया जा रहा है और निर्णय की एक-एक प्रति चार अपील पत्रावलियों पर अलग-अलग रखी जा रही है।

3. प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी"

लगातार.....2

अपील संख्या – 957, 959, 961 व 962 2012 / जयपुर

कहा जायेगा) द्वारा व्यवहारी के व्यवसाय-स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 29.04.2010 को किया गया। वक्त सर्वेक्षण सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में कन्फैक्शनरी ऑईटम्स को शुगर केण्डी मानकर उक्त पर 4/5 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जा रहा है जबकि उक्त कन्फैक्शनरी अनुसूची के तहत 12.5/14 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। अतः अभियोग पत्रावली प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित हुयी। इस संबंध में व्यवहारी द्वारा कतिपय कन्फैक्शनरी गुड्स को शुगर केण्डी अनुसूची-4 में वर्णित वस्तु मानकर विक्रय किया जा रहा है, अतः ऐसी वस्तुओं में ब्रांडेड कन्फैक्शनरी व चोको प्रॉडक्ट्स (Chocklate Products) उनकी पैकिंग के रेपर्स में अंकित ingredients, contents & Nutritional information के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को आलोच्य अन्तर्गत, ब्याज व शास्ति आरोपण हेतु नोटिस जारी करने पर, नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब से असन्तुष्ट होकर, निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि के संबंध में निर्धारण आदेश पारित कर, तालिकानुसार अन्तर कर, शास्ति व ब्याज की मांग आरोपित की। निर्धारण अधिकारी के इस आदेश से असन्तुष्ट होने व व्यवहारी द्वारा विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने शास्ति को अपास्त करते हुये अंतर कर व ब्याज को यथावत रखकर, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज को यथावत रखने के बिन्दु पर ये अपीलें पेश की गयी हैं।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलों के गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्मित “शुगर केण्डी” अधिनियम की अनुसूची-4 में वर्णित क्रम संख्या 163 में अंकित विनिर्मित उत्पाद रहा है, जिस पर व्यवहारी द्वारा सही कर दर से कर की अदायगी की गयी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय गुरुदेवदत्ता वीकेएसएस मर्यादित व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व अन्य (2001) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 534 के अनुसार व कमिशनर ऑफ सेल्स टैक्स, उत्तरप्रदेश बनाम् दी मोदी शुगर मिल्स लिंग, सिविल अपील नम्बर 443 ऑफ 1957 निर्णय दिनांक 31.10.1960 में पारित विधि के अनुसार अनुसूची के क्रम संख्या 163 का निर्वचन, अंकित इन्द्राज के अनुसार ही किया जाना अपेक्षित है और व्यवहारी द्वारा निर्मित “शुगर केण्डी” में शक्कर की मात्रा के बाबत् एक विश्लेषक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है, जिसे अवर अधिकारियों ने, विभाग के साबित करने के भार के विरुद्ध, यह कहकर नकार दिया है कि जाँच विभाग द्वारा नहीं करायी गयी है और रिपोर्ट में शक्कर के अलावा अन्य अवयवों की मात्रा अंकित नहीं है, जो विधिविरुद्ध है। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया है कि व्यवहारी द्वारा विक्रीत प्रश्नगत “शुगर केण्डी” अनुसूची-4 के इन्द्राज संख्या 163 से हटकर अन्य किसी अनुसूची से शासित नहीं होती और “कन्फैक्शनरी” सम्बन्धी किसी निरसित पुरानी विधि का सिद्धान्त या प्रभाव प्रश्नगत मीठी गोली उत्पाद पर

Sury

VV

लगातार3

अपील संख्या — 957, 959, 961 व 962 2012 / जयपुर

अधिरोपित नहीं किया जा सकता । अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय उचित नहीं है। व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक विनिश्चय M/s Hira Lal Ratan Lal V/s The Sales Tax Officer Kanpur and another 1974 U.P.T.C. 115 व Commissioner of Sales Tax , Uttar Pradesh V/s The Modi Sugar Mills Ltd. 1961 (048) AIR 1047 SC व M/s Saraf Trading Corporation etc V/s State of Kerala 2011 U.P.T.C. 126 व Commissioner of Trade Tax, U.P. V/s M/s Kartos International Etc. 2011 (4) SCALE 415 व Commercial Taxes Officer V/s M/s Heera Lal Murlidhar 1993 Tax World 32 व Commissioner of Income Tax V/s M/s Sun Engineering Works (P) Ltd. 1993 U.P.T.C.-110 व Hansraj Gordhandas V/s H.H. Dave, Assistant Collector of Central Excise & Other 1970 (057)AIR-0755-SC व Union of India & Ors. Garware Nylons Ltd. Etc. 1996-(087)-ELT-0012-SC व Commercial Taxes Officer V.s Jalani Enterprises (2011) 39 VST 421(SC) व M/s Mauri Yeast India Pvt. Ltd., M/s Kothari Fermentation and Biochem Ltd. V/s State of U.P. and another 2008 NTN(Vol. 37) - 57 व The Commissioner of Central Excise, Bhubaneswar-I V/s M/s Champdany Industries Limited 2009-(009)-SCC-0466-SC व Steel Authority of India Ltd. V/s Sales Tax Officer 2008 U.P.T.C.-875 व The Divisional Controller, K.S.R.T.C. V/s Mahadeva Shetty and another 2003-(090)-AIR-4172-SC व 1997 NTN(Vol.11) 936 प्रदीप अगरबत्ती बनाम् स्टेट ऑफ पंजाब का अवलम्ब लेकर अपने तर्कों में यह भी कहा है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ की रिपोर्ट को अविधिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है और हीरा लाल नामक नजीर में प्रकरण से संबंधित विवाद अंतर्लिप्त नहीं था एवं उक्त मामले में “विवादित एन्ड्री” विचाराधीन नहीं थी तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न उत्पादों में जो “घटक” उत्पाद के रेपर्स पर अंकित किये गये हैं वे ही “उत्पाद” के पोषक तत्वों (Nutrient Value) के द्योतक हैं और इन घटकों को गलत रूप से उत्पाद की रचना के घटक के रूप में देखा गया है जो उचित नहीं है तथा जहाँ तक उत्पाद की रचना का प्रश्न है तो इसमें शक्कर (सुक्रोज) की मात्रा 90 प्रतिशत से अधिक की रही है और यह उत्पाद “कन्फेक्शनरी” की श्रेणी की वस्तु न होकर, मीठी गोली की प्रकृति की उत्पाद है जो 4 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य हैं ।

6. अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर, उसके विरुद्ध पारित कर व ब्याज सम्बन्धी आदेशों को अपास्त कर, प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

लगातार.....4

7. विभाग के विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता ने गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के “ब्राण्डेड टॉफियॉ” पर अवयवों की प्रकृति का समिश्रण भी अंकित है और व्यवहारी द्वारा “विनिर्मित टॉफियॉ ब्राण्डेड” प्रकृति की कन्फेशनरी है, जो 163 नम्बर की एन्ट्री से अधिषासित नहीं होकर, “कन्फेशनरी गुड्स” होने के कारण अधिनियम की अनुसूची-5 के अनुसार $12.5/14$ प्रतिशत से कर योग्य है और तदनुसार ही “कर-अन्तर” व उस पर देय ब्याज की गणना सही रूपेण किया गया है। अपने उक्त कथन के समर्थन में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या — 332, 333, 334 व 335/2011/जयपुर व अपील संख्या — 760, 761, 762 व 763/2011/जयपुर मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्राइलि0, ए-300, रोड नम्बर-15, वी.के.आई.ए., जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर निर्णय दिनांक 26.07.2011 को प्रोद्धरित कर, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, पारित अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का निवेदन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना गयी।

8. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, हमारे समक्ष विवादित बिन्दु यह है कि क्या अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुयें “कन्फेशनरी” की श्रेणी में आती हैं कि नहीं? इस संबंध में दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तथा विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक विनिश्चयों व आक्षेपित निर्णय का परीक्षण किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अधिनियम की अनुसूची-4 की एन्ट्री नम्बर 163 में यह निम्न प्रकार अंकित है “Sugar candy made of sugar and glucose but excluding coco”। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स हीरालाल मुरलीधर के निर्णय दिनांक 02.07.92(1993) XVI टैक्सवल्ड पेज 32 में “कन्फैशनरी” व “शुगर कैण्डी” की प्रकृति का निर्वचन करके उसे परिभाषित किया है जिसके अनुसार “Meethi Goli i.e., sugar candy, is only a transformation of sugar in its shape and nothing is mixed with the sugar in its preparation and the sugar element in Meethi Goli is wholly predominant and contains sucrose more than 90 % it is purer heated, boiled and dried-up form of sugar and thus, does not fall within the category of confectionery”। कन्फैशनरी की प्रकृति के बारे में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस निर्णय में यह निर्णित किया

है कि The word **confectionery** thus, includes within its ambit great varieties of articles usually sold in confectioner's shop and in such products, though sugar forms a larger part but it is a product which is prepared by an act of proper blending and mixing various articles in the sugar.

9. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस निर्णय में यह भी कहा है कि "Because to fall within the category of confectionery, mixing and blending something other with 'sugar' is necessary while in the sugar candy, no other edible articles have been mixed and it contains purely the lumps of sugar".

13. व्यवहारी की ओर से तर्कों के प्रक्रम पर यद्यपि यह कहा गया है कि विभिन्न गोली चाकलेट में इंगित किये गये "अवयवों"(तत्वों) को खाद्य अपभिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लिखा गया है परन्तु विभिन्न प्रकार की मीठी गोलियाँ जिनको विभिन्न ब्राण्डनेम के नाम से बताया गया है, में स्वीकृत रूपेण शक्कर(SUGAR) के अलावा, विभिन्न प्रकार के अन्य "घटक" व "तत्व" (INGREDIENTS) मिश्रित किये गये है। अपीलार्थी—व्यवहारी द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की टोफियों में विद्यमान घटक, जो रेपर्स पर स्वीकृत रूपेण अंकित है, ये इंगित करते है कि उत्पाद में शक्कर के साथ में उपभोक्ता के खाने के उपयोग के (Edible)विभिन्न अन्य पदार्थ भी सम्मिलित किये है जो गोली की प्रकृति को "कन्फेक्शनरी" के रूप में रूपान्तरित करते है। ऐसी अवस्था में अपीलार्थी—व्यवहारी के उत्पाद अनुसूची—4 की एन्ट्री 163 से हटकर, अवशिष्ट अनुसूची—5 के उत्पाद की श्रेणी में "कन्फेक्शनरी" उत्पाद की श्रेणी में स्वतः ही समावेशित हो जाते है।

10. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कन्फेक्शनरी और शुगर केण्डी के विवाद में Commercial Taxes Officer V/s M/s Heera Lal Murlidhar 1993 XVI Tax World 32 की नजीर में कन्फेक्शनरी की जो व्याख्या की गयी है, वह इस मामले में अन्तर्लिप्त विवाद का स्पष्ट रूपेण व भली—भाँति निदान व निस्तारण करने में सहायक होकर निर्देशन प्रदान करती है। यह आबद्धकारी की प्रकृति की विधि भी है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उत्पाद को परिभाषित करते हुए, व्याख्या में यह लिखा है कि "Confectionery has not been defined under the Rajasthan Sales Tax Act. According to Webster's Third New International Dictionary,' Confectionery' means the making of confection and the 'confection' means mixture: a preparation esp; for human consumption made by mixing divergent ingredients. According to Random House Dictionary of English Language,'confection' means the

process of compounding, preparing or mixing something. According to Oxford English Dictionary, 'confectionery' means mixing, compounding, thing compounded, esp; sweet-meat, whence and includes sweet-meat, cakes and white treacles. According to Stouts Dictionary, 'confectionery' means : a sweet-meat. The word 'confectionery' thus, includes within its ambit great varieties of articles usually sold in confectioner's shop and in such products, though sugar forms a larger part but it is a product which is prepared by an act of proper blending and mixing varioius articles in the sugar. Meethi Goli i.e., sugar candy, is only a transformation of sugar in its shape and nothing is mixed with the sugar in its preparation and the sugar element in Meethi Goli is wholly predominant and contains sucrose more than 90%. It is purer heated, boiled and dried-up form of sugar and thus, does not fall within the category of 'confectionery' because to fall within the category of confectionery, mixing and blending something other with 'sugar' is necessary while in the sugar candy, no other edible articles have been mixed and it contains purely the lumps of sugar. Looking to the Legislative intent of granting exemption by the State Government to 'sugar' as defined in the Act, 1957 the sugar candy which is only transformation of sugar in different form or shape, does not fall within the category of 'confectionery'. The Sugar candy is almost pure form of sugar only." and, therefore, it is not liable to be taxed", जहाँ तक अपीलार्थी—व्यवहारी के उत्पाद के घटकों, अवयवों व तत्वों का प्रश्न है तो यह निर्विवादित रूप से स्वीकृत तथ्य है कि व्यवहारी के प्रश्नगत टॉफियों में शक्कर के साथ कई घटकों, तत्वों, सुगन्धों, रसायनों, संरक्षकों व खाद्य रूप से उपयुक्त वस्तुओं का समिश्रण है। उत्पादित वस्तु की प्रकृति का "निर्वचन" अनावश्यक रूप से अनुसूची—4 में करने की विधि अनुमति नहीं देती क्योंकि ऐसा विधायिका के रचित अवशिष्ट अनुसूची के अस्तित्व को पराजित करने का अविधिक कारण होगा।

11. विवेचित तथ्यों की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी—व्यवहारी के विवादित उत्पाद का "कन्फेक्शनरी" (Confectionery) की श्रेणी का उत्पाद होने के कारण, इन पर कर—अन्तर व ब्याज के आदेश को उचित व विधिक रूप से अधिरोपित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या — 332, 333, 334 व 335 / 2011 / जयपुर व अपील संख्या — 760, 761, 762 व 763 / 2011 / जयपुर मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा०लि०, ए—300, रोड नम्बर—15, वी.के.आई.ए., जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन—तृतीय, जयपुर निर्णय दिनांक 26.07.2011 में भी उक्त बिक्रीत वस्तुओं पर 12.5 / 14 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित कर, लगातार.....7

Smt.


KV

अपील संख्या - 957, 959, 961 व 962 2012 / जयपुर

निर्णय पारित किया गया है। अतः हस्तगत चारों प्रकरण भी उक्त पारित न्यायिक दृष्टांत से पूर्णतः आच्छादित होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार कर, अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।


162 परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

13. निर्णय सुनाया गया।

 १३-४-१५

(अमर सिंह)

सदस्य

 ५.२०१५

(मदनलाल)

सदस्य